न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/127/2018 दायर दिनांकः— 23/08/2018

जीसीएमएस नं0ः— 2018/00282 निर्णय दिनांकः— 27/01/2025

वउनवान

1. रामोतार पुत्र श्री गंगाराम जाति जाटव निवासी सुर्री का नगला तन कठूमर जिला अलवर।

------ वादी

बनाम

1. मुंशीराम पुत्र गिरधारी जाति खटीक निवासी कठूमर।
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड हौल्डर तहसील कठूमर ।

----- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः— 1.श्री सुभाषचन्द शर्मा—अधिवक्ता वादी
2.श्री गिरधारीलाल शर्मा—अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

—ःनिर्णयः—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1353/2406 रकबा 0.59 हैक्ट0,वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 7/118 हिस्सा व शेष 111/118 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 14 शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादीगण के 7/118 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराज़ी तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 08.10.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर अदालत आये जिन्होने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 22.12.2023 कों जवाब दावा प्रस्तुत किया गया शामिल मिसल किया गया। दिनांक 23.01.2025 को वादी एवं प्रतिवादी द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो वाद जॉच कर शामिल पत्रावली किया गया। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता दौराने बहस अपने वाद को मुताविक राजीनामा के अनुसार खसरा नम्बर 1353/2406 रकबा 0.59 हैक्ट0 वाके ग्राम कठूमर में वादी का हिस्सा 7/118 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी में 111/118 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अपने अपने हिस्से के अनुसार दोनों पक्षकार मौके पर काविज है दीवारी सहित दक्षिण दिशा का हिस्सा रामअवतार का रहेगा तथा दीवारी के उत्तर दिशा में मुंशी प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा रहेगा के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2070–73 वाके ग्राम कठूमर की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, राजीनामा, जवाब, प्रस्तुत जमाबन्दी वाके ग्राम कठूमर का अवलोकन किया गया, बहस वकुलाय पर मनन किया गया, प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी को वादी एंव प्रतिवादी की शामलात खातेदारी की होना व विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना जाहिर किया है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का वादी एंव प्रतिवादी की शामलात खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

होना व कानूनी तकासमा नहीं होना अवट होने का अनुमान किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के राजीनामा/सहमती के आधार पर दावा वादी अंतिम रूप डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा वादी मुताविक राजीनामा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार अंतिम रूप से डिकी किया जाकर वो आराजी खसरा नम्बर 1353/2406 रकबा 0.59 हैक्ट0 वाके ग्राम कठूमर में वादी का हिस्सा 7/118 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी में 111/118 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अपने अपने हिस्से के अनुसार दोनों पक्षकार मौके पर काविज है दीवारी सहित दक्षिण दिशा का हिस्सा रामअवतार का रहेगा तथा दीवारी के उत्तर दिशा में मुंशी प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा रहेगा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 27.01.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/127/2018 दायर दिनांकः– 23/08/2018

जीसीएमएस नं0:– 2018/00282 निर्णय दिनांकः– 27/01/2025

वउनवान

1. रामोतार पुत्र श्री गंगाराम जाति जाटव निवासी सुर्री का नगला तन कठूमर जिला अलवर।

——— डिक्रीदार

बनाम

1. मुंशीराम पुत्र गिरधारी जाति खटीक निवासी कठूमर।
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड हौल्डर तहसील कठूमर ।

——— मदयूनान्

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा वादीगण मुताविक राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वो आराजी खसरा नम्बर 1353/2406 रकबा 0.59 हैक्ट0 वाके ग्राम कठूमर में वादी का हिस्सा 7/118 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी में 111/118 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अपने अपने हिस्से के अनुसार दोनों पक्षकार मौके पर काविज है दीवारी सहित दक्षिण दिशा का हिस्सा रामअवतार का रहेगा तथा दीवारी के उत्तर दिशा में मुंशी प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा रहेगा वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें।

आज दिनांक 27.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

	हाजिर ...उपस्थित... ... न्यायालय दिनांक 10/3/25 को पेश हो।	
23/1/25	पत्रावली आज वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी के बीच राजीनामा होकर पेश किया गया जो बाद जाँच तस्दीक शामिल मि० किया जाता है। पत्रावली निपटान दिनांक को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०